

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 172 / 2026

1. सिद्धान्त गोदारा पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 10 सीडीआर बी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी


बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम } जाति जाट निवासीयान 10 सीडीआर बी नाईवाला
2. पूनम पुत्री राजेन्द्र कुमार } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी शिव झोरड अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 10 सीडीआर बी के प०न० 221/255 मु० 6 किलानं० 20, प०न० 221/255 मु० 6 किलानं० 21, प०न० 221/256 मु० 14 किलानं० 1/1/.228, 1/.025 है० गै०मु० खाला कुल 0.759 है० का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। चक न० 10 सीडीआर बी के खाता सं० 117/35 में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी का प्रतिवादीगण से खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकवे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण आर. ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।